

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/२४९

दिनांक: 10 मई, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय: ग्रीष्मावकाश में महाविद्यालय में रोके जाने वाले शैक्षणिक संकाय सदस्यों के संबंध में दिशा-निर्देश

महोदय,

आयुक्तालय द्वारा ग्रीष्मावकाश की अवधि में विभिन्न कार्यों के लिए शैक्षणिक संकाय सदस्यों को रोके जाने के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ.1()स्था/निकाशि/16/8375 दिनांक 12.07.2016 एवं पत्र क्रमांक एफ.7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/286 दिनांक 30.04.2019 की निरन्तरता में समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि:-

1. ग्रीष्मावकाश के दौरान अनावश्यक रूप से बिना औचित्यपूर्ण कार्य के शैक्षणिक संकाय सदस्यों को नहीं रोका जाये।
2. ग्रीष्मावकाश के दौरान महाविद्यालयों के द्वारा कितने शैक्षणिक संकाय सदस्यों को रोका गया, इस आशय की सूचना आयुक्तालय को नहीं होती। इस हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र में चाही गयी समस्त सूचनाओं को ई.मेल cce_raj@yahoo.com पर निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. उक्त चाही गई सूचना प्रत्येक पाक्षिक (Fortnightly) आधार पर निम्नानुसार यथा समय भिजवाई जावे:-

क्र.सं.	अवधि	संलग्न प्रारूप में सूचना भिजवाने की तिथि
01	01-15 मई 2019	20 मई 2019 तक
02	16-31 मई 2019	05 जून 2019 तक
03	01-15 जून 2019	20 जून 2019 तक
04	16-30 जून 2019	07 जुलाई 2019 तक

संलग्न:- सूचना हेतु निर्धारित प्रारूप

भवदीय,




(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/289

दिनांक: 10 मई, 2019

प्रतिलिपि: बेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया पत्र को बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।



(डॉ.आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

